AFR
Reserved on 06.04.2026
Delivered on 09.04.2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 8001 of 2025

Satyaverat
.....Petitioner(s)
Versus
State Of U.P. And 3 Others
.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Pranesh Kumar Mishra
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Kartikeya Saran, Krishna Agarwal

Court No. - 32

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Petitioner before this Court was initially appointed on the post of Assistant Accountant in U.P. Power Corporation Ltd. on 28.02.2008 and till 22.02.2013 he was posted at Electricity Distribution Division-I, Muzaffarnagar. Petitioner thereafter was promoted on the post of Accountant on 23.02.2013 and was transferred and posted at Electricity Distribution Division-I, Baraut, Baghpat and he remained their till 31.07.2016.

2. Later on petitioner was transferred on 31.07.2016 at Electricity Distribution Division-III, Shamli and he remained there till 19.07.2021 and subsequently transferred at Electricity Urban Distribution Division Town Hall, Muzaffarnagar and presently he is working there as an Accountant.

3. Petitioner has suffered with a disciplinary proceeding for an alleged misconduct when he was posted at Electricity Distribution Division-III Shamli from 31.07.2016 to 19.07.2021 and present case is arising of a punishment order passed in pursuance of said disciplinary proceeding.

4. Few facts which are not disputed so far as charges are concerned, are that in 2009-10 a huge electricity bill remained outstanding against a consumer, namely, M/s Sikka Papers Ltd. and its connection was disconnected on 01.11.2009. Subsequently notices for recovery as required under Sections 3 and 5 of Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958 *(hereinafter referred to as "Act, 1958")* were issued to realize the electricity dues of Rs. 214.87 lacs. Demand notice under Section 3 was issued on 13.11.2009 and under Section 5 was issued on 14.12.2009 however, it appears that recovery was not executed and nothing happened thereafter.

5. At later stage, M/s Sikka Papers Ltd. approached National Company Law Tribunal under I.B. Code 2016 to declare it insolvent. Accordingly vide order dated 22.05.2019 a Resolution Professional was appointed and a notice was published in a newspaper, namely, "The Pioneer" on 26.04.2019, however, the Electricity Department does not participate in it in the capacity of Financial Creditor, as such a loss was occurred.

6. In aforesaid circumstances, a disciplinary proceeding was initiated against petitioner, the then Accountant at Shamli that when he was working at Shamli between 2016 to 2021, he was not diligent to pursue

the huge recovery of Rs. 214.87 lacs since neither he pursued the demand notices issued under Sections 3 and 5 of Act, 1958 nor he pursued the remedy to file claim in insolvency proceeding, despite a notice was published on 26.04.2019 when petitioner was Accountant at Shamli.

7. Petitioner submitted his reply to charge sheet and a Temporary Inquiry Committee-5 considered the charges and reply to it and finally submitted an inquiry report dated 16.10.2024 whereby petitioner was exonerated from both charges. Relevant part of inquiry report, so far as charges no. 1 and 2 is concerned, is reproduced hereinafter:

> "*विवेचना आरोप संख्या 01-*
>
> *आरोपी ने निम्नवत् संज्ञानित किया हैः-*
>
> *आरोपी की तैनाती विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय शामली में अवधि 31.07.2016 से 19.07.2021 तक रही थी।*
>
> *उपभोक्ता मैसर्स सिक्का पेपर्स लि० वृहद एवं भारी उपभोक्ता है जिसके बकाया धनराशि रू0 214.87 लाख के विषय में आरोप पत्र जारी हैं। उक्त बकाया धनराशि आरोपी के कार्यकाल से 07 वर्ष पूर्व के हैं एवं बकाया वसूली हेतु तत्कालीन कार्मिक / लेखाकार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कृत कार्यवाही आरोपी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही संपादित की जा चुकी थी।*
>
> *उपभोक्ता पर बकाया धनराशि माह 01/2009 से सृजित हुई है जबकि आरोपी की तैनाती 31.07.2016 को हुई है। अतः आरोप के कार्यकाल से पूर्व की घटना है।*
>
> *उपभोक्ता का संयोजन बकाया धनराशि पर दिनांक 01.11.2009 को विच्छेदित किया गया था (आरोपी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व)।*
>
> *उपभोक्ता को दिनांक 13.11.2009 को धारा-03 एवं दिनांक 14.12.2009 को धारा-05 का नोटिस जारी किया गया था, उल्लेखनीय है कि नियमानुसार संयोजन विच्छेदन के उपरान्त ही धारा-03 एवं धारा-05 के नोटिस जारी किये जाते हैं (आरोपी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व)।*
>
> *विशेषः- उपरोक्त बिन्दुओं के साक्ष्य में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली के टिप्पणी आदेश / वि०वि०ख० शामली / दिनांक 28.04.2010 जो मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1) सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर को सम्बोधित है तथा धारा-03 एवं धारा-05 के प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न हैं।*
>
> *उक्त के संबंध में आरोपी ने स्पष्ट किया है कि उसके कार्यकाल से पूर्व ही धारा-03 एवं धारा-05 के नोटिस जारी किये जा चुके थे एवं आरोपी के कार्यकाल में धारा-05 का नोटिस बिना वसूली अथवा वसूली/आंशिक वसूली के उपरांत वापस नहीं आया था। साक्ष्य स्वरूप तहसीलदार शामली का पत्रांक 320/वा0 वा0 न 0 दिनांक 19.04.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, शामली का जिलाधिकारी शामली को जारी पत्र संख्या 1596 वि०वि०ख०तृ० शामली दिनांक 12.04.2023 संलग्न हैं। इसके*

अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत अभिकथन में उक्त एच.वी. उपभोक्ता का नाम आनलाईन बिलिंग डाटा में भी प्रदर्शित ना होना अंकित किया है।

समिति का मतव्य है कि आरोपी ने अपने अभिकथन एवं साक्ष्यों के आधार पर यह अंकित किया है कि उसकी तैनाती अवधि के पूर्व में ही संबंधित उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करते हुए विद्युत राजस्व बकाया के सापेक्ष धारा 03 एवं धारा 05 निर्गत की जा चुकी थी साथ ही उक्त उपभोक्ता के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली के टिप्पणी एवं आदेश दिनांक 28.04.2010 जोकि मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर को संबोधित है जिसमें धारा 03 एवं धारा 05 की प्रति संलग्न की गयी है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्वहस्ताक्षरित एच.वी. उपभोक्ताओं की बिलिंग डाटा सूची के अनुसार उपभोक्ता का विद्युत बकाया प्रदर्शित ना होने के स्वरूप राजस्व वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी। उक्त कथन स्वीकार योग्य एवं उचित प्रतीत होता है। अतः आरोपी को दोषमुक्त पाया जाता है।

विवेचना आरोप संख्या 02:-

आरोपी का निम्नवत् कहना है कि:-

अखबार में प्रकाशित विज्ञप्ति जो आरोप पत्र के साथ संलग्न है। आरोपी को उसके कार्यकाल में संज्ञानित / उपलब्ध नहीं करायी गयी।

निगम आदेश सं० 1653 / जी०सी०ए०ओ० दिनांक 10.04.1997 के अनुसार आरोपी का उत्तरदायित्व बकायेदार उपभोक्ता के विरुद्ध मात्र धारा - 03 एवं धारा-05 का प्रपत्र जारी करने तक है। जो आरोपी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही जारी हो चुका था।

निगम आदेश सं० 87 / प्र०सु० / 01 / णकालि / 2002-20- प्र०से / 2000 दिनांक 25.02.2002 की कणिका 3 क- 4, के अनुसार राजस्व वसूली हेतु प्रारम्भिक उत्तरदायित्व उपखण्ड अधिकारी, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का है।

पूर्ववर्ती परिषद आदेश सं०-334 - विनिमय - 23 / राविट - 97 - 5 विनिमय / 90 (टी०सी०) 11 दिनांक 30.11.1997 का कणिका 1.36 के अनुसार धारा - 05 का प्रपत्र जारी होने के उपरान्त जिलाधिकारी से वसूली हेतु अनुस्मरण करना तथा धारा -05 की आपत्तियो के निस्तारण करने का उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का है।

पूर्ववर्ती परिषद आदेश सं० 924 - वी०एस०वी० / राविद उन्तीस - 22 वी०एस०वी० / 91 दिनांक 30.07.1999 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, अधीनस्थों के कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं। अधिशासी अभियन्ता, का उत्तरदायित्व था कि वे जिलाधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्यालय सहायकों से पत्राचार कराना चाहिए था।

निगमादेश सं० 555 - ज०श० एवं प्र०मु०-01 / 41 कराने / 2017-29- प्र०सु० / 2001 दिनांक 30.06.2017 की कणिका 01 के अनुसार राजस्व संग्रह का प्रशासनिक उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व, अधीक्षण अभियन्ता तथा डिस्कॉम स्तर पर निदेशक वाणिज्य का है। उल्लेखनीय है कि वृहद एवं भारी उपभोक्ता के रू0 100 लाख से अधिक से बकाया की धनराशि की सूचना प्रत्येक माह डिस्कॉम स्तर तक प्रेषित की जाती हैं। अतः सभी उच्च अधिकारी उपभोक्ता पर बकाया राशि से संज्ञानित थे एवं उनका उत्तरदायित्व दिशा निर्देशन का था।

रेगुलेशन ऑफ़ Insolvency and Bankruptcy के अनुसार Interim Resolution Professional विद्युत विभाग को सूचना देने का प्रावधान नहीं है। अतः विद्युत विभाग में सूचना प्राप्त नहीं है और ना तदानुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस संबंध में आरोपी को कोई निर्देश जारी किये गये।

उपरोक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि Interim Resolution Professional द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को सूचना प्रेषित की जानी है। चूंकि उक्त प्रकरण में धारा-05 प्रपत्र जारी हो चुका था। अतः लम्बित राजस्व बकाया की कार्यवाही खण्ड स्तर पर धारा-05 के लम्बित रहने तक नहीं की जा सकती है। उक्त कार्यवाही जिलाधिकारी के स्तर पर संपादित होनी थी। अतः आरोपी के स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं थी। आरोपी को Interim Resolution Professional के यहाँ दावा प्रस्तुत करने हेतु किसी भी स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे। उक्त से स्पष्ट है कि धारा-03 एवं धारा-05 जारी होने के उपरान्त आरोपी के स्तर पर कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं थी एवं आरोपी के कार्यकाल मे धारा 05 की नोटिस किसी आपत्ति के साथ जिलाधिकारी कार्यालय से वापस प्राप्त नहीं हुआ।

समिति का मतव्य है कि संबंधित उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया राजस्व धनराशि की वसूली हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु आरोपी ने अपने अभिकथन में स्पष्ट किया है कि धारा 03 एवं धारा 05 के नोटिस पूर्व में ही निर्गत किये गये थे। निगमादेश के अनुसार राजस्व वसूली का दायित्व अन्य अधिकारियों का है। धारा 05 निर्गत होने पर वसूली जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है। एन.सी.एल.टी. द्वारा विद्युत विभाग को उपभोक्ता के संयोजन के विरूद्ध बकाया राजस्व की वसूली के दावे हेतु कोई सूचना ना प्राप्त होना, दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र का शामली कस्बे में उपलब्ध ना होना भी अंकित किया है जो कि स्वीकार योग्य है। अतः आरोपी को दोषमुक्त पाया जाता है।

निष्कर्ष

अधीक्षण अभियन्ता (डी०पी०), पविविनिलि, मेरठ के कार्यालय पत्रांक 427/पविविनिलि/मे./डी.पी./1775 दिनांक 23.01.2024 से प्राप्त पत्रावली, आरोप पत्र, आरोपित सेवक का लिखित अभिकथन तथा उपलब्ध पत्र/साक्ष्यों की गहन विवेचना एवं परीक्षण/प्रकरण के सम्यक जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री सत्यवृत्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप संख्या 01 एवं 02 के लिये दोषमुक्त पाया जाता है।"

8. Inquiry report of Temporary Inquiry Committee-5 was submitted to Managing Director, who disagreed with exoneration so far as charge no. 1 is concerned and held that it was proved in part and, therefore, a notice dated 28.12.2024 was issued to petitioner, to which petitioner submitted reply dated 10.01.2025 and again denied charge and specifically stated that it was not sole responsibility of him to pursue the notices issued under Sections 3 and 5 of Act, 1958 and notices were issued much prior to when petitioner remained posted as Accountant at Shamli.

9. In aforesaid circumstances, impugned order dated 02.05.2025 was passed by way of an Office Memorandum, whereby petitioner was found partly guilty of charge no. 1 that when he was working between 2016 to 2021, i.e., for five years as an Accountant at Shamli, he did not notice the huge outstanding of Rs. 214.87 lacs of a consumer namely, M/s Sikka Paper Ltd. and has not pursued thereafter. However, no reference was made so far as proceeding under Insolvency Act is concerned. By means of impugned order not only punishment of 'Censure' and "withholding of one financial increment with cumulative effect" was passed but a punishment to recover Rs. 214.87 lacs was also imposed on petitioner. Relevant part of impugned order is mentioned hereinafter:

"***प्राप्त जांच आख्या के उपरान्त की गयी कार्यालय समीक्षा***

आरोप संख्या-01 :- आरोपी की तैनाती 31.07.2016 से 19.07.2021 तक 05 वर्षों तक रहीं। परन्तु इतने बड़े बकाया रू 214.87 लाख के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा सम्भव नहीं है। यदि नहीं थी, तो घोर लापरवाही है। लगातार Pursuance करना तथा जिला प्रशासन से सम्पर्क करके वसूली की कार्यवाही किया जाना था। धारा-05 निर्गत करने के उपरान्त उसकी Monitoring करना लेखाकार का प्रथम दायित्व है। पूर्व में निर्गत धारा-03 एवं धारा-05 का अनुश्रवण करना लेखाकार (राजस्व) की पूर्ण जिम्मेदारी है। बड़े बकायेदारों उपभोक्ता एच0वी0-02 श्रेणी कू सूचना पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता से भी प्राप्त करना आवश्यक था। संलग्न सूची में Inoperative श्रेणी के उपभोक्ता का विवरण नहीं है। लेखाकार (राजस्व) सभी आरोपों से अपने को मुक्त करवाने हैं। जैसे इनकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। अतः आरोपी को आरोप संख्या-01 के लिए आंशिक दोषी पाया जाता है।

आरोप संख्या:-02 :- उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया राजस्व धनराशि की वसूली के धारा 03 तथा धारा 05 का नोटिस आरोपी की तैनाती अवधि से पूर्व ही निर्गत कराया जा चुका था। धारा 05 निर्गत होने पर वसूली जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। एन.सी.एल.टी. द्वारा विद्युत विभाग को उपभोक्ता के संयोजन के विरुद्ध बकाया राजस्व की वसूली के दावे हेतु कोई सूचना ना प्राप्त होना, दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र का शामली कस्बे में उपलब्ध ना होना भी अंकित किया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

अतः कार्यालय समीक्षा में जांच समिति के निष्कर्ष से सहमति की स्थिति पायी जाती है। तथा आरोपी आरोप संख्या-02 के लिए दोषमुक्त पाया जाता है।

आरोपी श्री सत्यवृत्त (सैम आई0डी0-14700047) तत्कालीन लेखाकार अन्तर्गत, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली सम्प्रति लेखाकार, अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध प्रकरण में अस्थायी जांच समिति-पंचम से प्राप्त जांच आख्या एवं निष्कर्ष का कार्यालय स्तर पर की समीक्षोपरान्त आरोप सं0-01 आंशिक सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत निगमीय पत्रांक 6518/प०वि०वि०नि०लि०/मे०/डी०पी०/1775 दिनांक

28.12.2024 द्वारा अभ्यावेदन निर्गत किया गया। जिसके संदर्भ में प्रतिउत्तर आरोपी द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 10.01.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया। जोकि निम्नवत् है:-

"उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अभ्यावेदक की तैनाती अवधि 31.07.2016 से 19.07.2021 में वि०वि०ख० तृतीय, शामली में थी, वृहद उपभोक्ता की राजस्व बकाया के सम्बन्ध में जांच समिति (अस्थायी) प०वि०वि०नि०लि०, मुरादाबाद के पत्र सं० 9003-मु०अ०मु०क्षे०/अस्थायी जांच समिति-5 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया था, जिसमें 2 नग आरोप से आरोपित किया गया था। अभ्यावेदक द्वारा प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त जांच समिति द्वारा जांच विवेचना प्रस्तुत की गई। जांच में अपनी जांच विवेचना में अभ्यावेदक को दोनों आरोपों से मुक्त पाया था अनुशासनात्मक समीक्षा में निम्न आधार पर अभ्यावेदक को आरोप सं0-1 में आंशिक दोषी मान लिया गया।"

आरोप सं0-1 आरोपी की तैनाती 31.07.2016 से 19.07.2021 तक 05 वर्षों तक रही परन्तु इतने बड़े बकाया रू0 214.87 लाख के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा सम्भव नहीं है। यदि नहीं थी, तो घोर लापरवाही है। लगातार Pursuance करना तथा जिला प्रशासन से सम्पर्क करके वसूली की कार्यवाही किया जाना था। धारा-05 निर्गत करने के उपरान्त उसकी Monitoring करना लेखाकार का प्रथम दायित्व है। पूर्व में निर्गत धारा-03 एवं धारा-05 का अनुश्रवण करना लेखाकार (राजस्व) की पूर्ण जिम्मेदारी है। बड़े बकायेदारों उपभोक्ता एच0वी0-02 श्रेणी की सूचना पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता एवं पूर्ववर्ती लेखाकार (राजस्व) से भी प्राप्त करना आवश्यक था। जो कि आरोपी द्वारा नहीं किया गया। अतः आरोप संख्या-01 आंशिक सिद्ध पाया गया है।

उपरोक्त अनुशासनात्मक समीक्षा निम्न प्रकार अस्वीकार्य है, क्योंकि अनुशासनात्मक समीक्षा में लेखाकार के पदेन कर्तव्य एवं अभ्यावेदक के प्रति उत्तर तथा जांच समिति की विवेचना स्वतः बोलते आदेशों से नहीं की गयी है एवं अनुशासनात्मक समीक्षा काल्पनिक तथा दोषपूर्ण हो गयी है। अतः अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओं पर पुनः विवेचना कर स्वतः बोलते आदेशों से समीक्षा की जानी चाहिए।

<u>अनुशासनात्मक समीक्षा का अंश:-</u> "अभ्यावेदक की तैनाती 31.07.2016 से 19.07.2021 तक 5 वर्षों तक रही, परन्तु इतने बड़े बकायेदार रू0 214.87 लाख के विरुद्ध बकाया की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा सम्भव नहीं है यदि नहीं थी तो घोर लापरवाही है।"

अनुशासनात्मक समीक्षा का उक्त अंश पूर्ण रूपेण अस्वीकार्य है तथा खंडित किये जाने योग्य है, जो निम्न से स्पष्ट है:-

(i) प्रश्नगत उपभोक्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शामली से सम्बन्धित था एवं जैसा कि प्रत्यावेदन में वर्णित किया जा चुका है। उपभोक्ता पर बकाया राशि के विरुद्ध में विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली के स्तर पर कार्यवाही हो चुकी थी, जो निम्न हैं-

(ii) धारा-3 के प्रपत्र की छायाप्रति।

(iii) धारा-5 के प्रपत्र व बिना वसूल प्रपत्र की छायाप्रति।

(iv) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली की टिप्पणी एवं आदेश दिनांक 28.11.2010 (छायाप्रति)।

(v) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली के पत्र सं० 291/वि०वि०-प्र०/शामली, दिनांक 08.07.2010 (छायाप्रति)।

(vi) विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली का कुछ क्षेत्र दिनांक 25.05.2012 को हस्तांतरित कर विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में पुनर्गठित किया गया जबकि अभ्यावेदक की तैनाती 31.07.2016 से 19.07.2021 तक रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रश्नगत उपभोक्ता का संयोजन स्थल विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में पुनर्गठन के फलस्वरूप आया था, परन्तु उपभोक्ता का स्थायी विच्छेदन एवं धारा-5 आदि का प्रपत्र विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली से ही दिया जा चुका था। अतः उक्त बकाया धनराशि विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली के अभिलेखों में ही वर्णित रही एवं बकाया धनराशि तथा उपभोक्ता का प्रकरण विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली को हस्तान्तरित नहीं हुआ। अतः अनुशासनात्मक समीक्षा का उक्त अंश भी लेखाकार (राजस्व) को संज्ञानित होना चाहिए था सम्भव ही नहीं है एवं अस्वीकार्य है।

(vii) अनुशासनात्मक समीक्षा का अंश लगातार Pursuance करना तथा जिला प्रशासन से सम्पर्क करके वसूली की कार्यवाही किया जाना था।

उक्त अंश भी अस्वीकार्य है क्योंकि उपभोक्ता की बकाया राशि के धारा-3 एवं धारा-5 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली द्वारा जारी थे एवं स्थायी विच्छेदन के कारण उक्त बकाया विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली को हस्तान्तरित नहीं थे। अतः अभ्यावेदक की विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में तैनाती होने के कारण उक्त कार्यवाही विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली के स्तर पर सम्पादित नहीं होनी थी।

(viii) अनुशासनात्मक समीक्षा का अन्य अंश भी अस्वीकार्य हैं क्योंकि बकाया धनराशि का प्रकरण विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली में था, जब कि अभ्यावेदक की तैनाती विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में थी।

अभ्यावेदक द्वारा उक्त तथ्यों को व्यक्तिगत सुनवाई के समय भी अवगत कराया गया था। परन्तु जांच समिति ने अपनी विवेचना में सम्मिलित नहीं किया और न ही अनुशासनात्मक समीक्षा में संज्ञानित किया गया जिस कारण अनुशासनात्मक समीक्षा त्रुटि पूर्ण हो गयी।

अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता की बकाया राशि विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली में वांछित थी एवं सभी अभिलेख विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली में थे जबकि अभ्यावेदक की तैनाती विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में थी।

(IX) यह भी उल्लेख करना अनिवार्य हैं कि विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली के गठन के समय (जो अभ्यावेदक के कार्यभार से पूर्व हुआ है) वृहद एवं भारी उपभोक्ता जो कार्यशील थे एवं विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली के कार्य क्षेत्र में आते थे हस्तान्तरित किये गये थे जबकि प्रश्नगत उपभोक्ता का स्थायी विच्छेदन एवं धारा 5 आदि की कार्यवाही विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली में हो चुकी थी एवं अभिलेख तथा उपभोक्ता विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में हस्तान्तरित नहीं था। साक्ष्य में वृहद एवं भारी उपभोक्ता के वर्ष-2019 व वर्तमान की संगणक डाटा की छायाप्रति संलग्न हैं।

अतः उक्त प्रकरण अभ्यावेदक से सम्बन्धित नहीं हैं अभ्यावेदक पर आरोप तथा अनुशासनात्मक समीक्षा सिद्ध नहीं हैं।"

<u>*प्राप्त अभ्यावेदन की कार्यालय समीक्षा*</u>

<u>*प्राप्त अभ्यावेदन के विश्लेषण से संज्ञानित है कि विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2016 से 19.07.2021 तक 05 वर्षों की तैनाती की समयवधि के दौरान आरोपी श्री सत्यवृत्त, लेखाकार के द्वारा उपभोक्ता मैसर्स सिक्का पेपर्स लि०, सिक्का से धनराशि 214.87 लाख की राजस्व वसूली सम्बन्धी प्रकरण में कार्यभार ग्रहण करते समय पूर्ववर्ती लेखाकार से खण्ड के अन्तर्गत बड़े बकायेदारों (HV-2) की जानकारी प्राप्त कर उचित कार्यवाही करने में असमर्थ रहने के दृष्टिगत विभागीय कार्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही/शिथिलता प्रदर्शित होती है।*</u>

<u>*यद्यपि उक्त उपभोक्ता से राजस्व वसूली हेतु धारा-3 व धारा-5 आरोपी की तैनाती अवधि से पूर्व विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली से निर्गत किया गया था, परन्तु आरोपी द्वारा उक्त उपभोक्ता से सम्बन्धित अभिलेखों को विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली में हस्तान्तरित कराकर एवं उसकी वसूली हेतु लगातार अनुसरण करने का उल्लेख अभ्यावेदन में नहीं किया गया।*</u>

<u>*उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अभ्यावेदक द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन की कार्यालय समीक्षा में आरोप सं0-01 आंशिक सिद्ध पाया गया है।*</u>

<u>*अतः प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के उक्त प्रकरण में सक्षम अधिकारी होने के नाते श्री सत्यवृत्त (सैम आई0 डी0-14700047) तत्कालीन लेखाकार अन्तर्गत, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली सम्प्रति लेखाकार, अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध आरोप सं0-01 आंशिक सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत "परिनिन्दा एवं संचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक तथा धनराशि रू0 214.87 लाख विविध अग्रिम के रूप में प्रत्याप्ति" का दण्ड प्रदत्त करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र के माध्यम से प्रचलित प्रकरण को एतद्द्वारा "समाप्त" किया जाता है।*</u>"

10. Sri Pranesh Kumar Mishra, learned counsel for petitioner has submitted that demand notices against consumer under Sections 3 and 5 of Act, 1958 were issued on 13.11.2009 and 14.12.2009 whereas petitioner took charge as an Accountant at Shamli on 31.07.2016, i.e., notices were issued about more than six years ago. No allegation was made against earlier posted Accountants. Impugned order was passed mainly on a premise that petitioner was not careful and diligent to identity the huge outstanding and to inform it to Higher Authorities and failed to pursue it. However, an Accountant cannot be held entirely responsible that he was not able to point out a recovery for which demand notices were issued more than six years back when he took charge. The Higher Authorities have also not taken note of any huge outstanding or call for record from Accountant, i.e., petitioner during his tenure of about five years at Shamli.

A reason was assigned in impugned order that billing data list was not published, however, it was not the entire responsibility of petitioner.

11. Learned counsel for petitioner further submitted that so far insolvency proceeding is concerned, notice was published in a nationalized newspaper which does not has much circulation at Shamli and otherwise also it cannot be entire responsibility of petitioner to take note of notice published in newspaper.

12. Learned counsel further submitted that the charge was partially proved and without any specific finding about loss the punishment of recovery of entire amount, i.e., Rs. 214.87 lacs, from petitioner alone is a punishment which is shockingly disproportionate.

13. Per contra, Sri Krishna Agrawal, Advocate and Sri Vinayak Ranjan, Advocate holding brief of Sri Kartikeya Saran, Advocate for respondents, have supported the impugned order that petitioner was granted opportunity not only before Temporary Inquiry Committee but before Disciplinary Authority also. He was put on notice of disagreement and after considering his reply, it was held that petitioner was required to be more diligent towards recovery and it was his duty to procure information of consumers having huge outstanding, i.e., under HV-02 category, from his earlier Accountants or Executive Engineer, however, he was failed to take requisite information. Due procedure was followed and punishment is not shockingly disproportionate.

14. Heard learned counsel for parties and perused the material on record.

15. In the present case, admitted position of facts, as already mentioned in earlier paragraphs, are that demand notices against a consumer for demand of Rs. 214.87 lacs was issued in the year 2009, however, it was not pursued either by earlier Accountants or by Higher Authorities or by petitioner when he was posted between 2016 to 2021. Similarly, no

application was filed in insolvency proceeding of consumer. The Temporary Inquiry Committee has exonerated petitioner from both charges, however, Disciplinary Authority put a disagreement so far as charge no. 1 is concerned that it was proved in part and notice was issued to petitioner, which was replied by him and finally impugned order was passed. Therefore, the Court is of the view that principle of natural justice and due procedure was complied with.

16. Now the only question is, whether charge is proved in part on a perverse finding and in case charge is found to be partly proved, whether punishments, specifically the punishment of recovery of amount of Rs. 214.87 lacs from petitioner, is shockingly disproportionate.

17. First charge was proved in part and for that the Court takes note of impugned order that during tenure of five years between 2016 to 2021 petitioner was required to get information from his earlier Accountants, specifically about the consumers having huge outstanding under HV-02 category, however, petitioner remained careless since he has not sought information.

18. Therefore, if impugned order is taken on face of it, the maximum proved charge against petitioner is that he was not diligent to procure information from his earlier Accountants and failed to pursue recovery process initiated about six years ago. It may be a case that petitioner was not diligent enough but whether it would be sufficient to hold that he was entirely responsible so much as that a recovery of entire outstanding amount of Rs. 214.87 lacs be recovered from petitioner by way of punishment. For that the Court takes note of a judgment passed by Supreme Court in the case of **Punjab & Sind Bank vs. Sh. Raj Kumar, 2026 INSC 313** and relevant paras 9 and 10 of the judgment are reproduced hereinafter:

> *"9. What follows from the precedents noted above is that courts should exercise restraint while interdicting orders of punishment. Normally, no court in exercise of its power of judicial review should interfere with an order of punishment imposed on a delinquent as a measure of disciplinary action by the competent authority and substitute its own judgment for that of the former. This is premised on the reason that the disciplinary authority is the best judge of the situation, and the requirements of maintaining discipline within the work force. While it is not the law that the courts should invariably stay at a distance when legality and/or propriety of a particular punishment is questioned, judicial scrutiny of the disciplinary action by way of punishment could arise only if the circumstances are such that no reasonable person would Impose the punishment which is questioned and/or such punishment has the effect of shocking the conscience of the court. To put in simpler words, Interference could be warranted if It appeals to the court that the disciplinary authority has 'used a sledgehammer for cracking a nut'. A punishment, which is strikingly or shockingly disproportionate and is not commensurate with the gravity of misconduct, proved to have been committed in course of inquiry or otherwise, would border on arbitrariness and offend Article 14 of the Constitution.*
>
> *10. <u>Where a court, upon due consideration, arrives at the conclusion that the punishment imposed is disproportionate, its intervention is circumscribed in nature. Judicial scrutiny and interference, if at all, has to be based on reasons in support of the court's ultimate satisfaction that the disciplinary authority has faltered in the exercise of his discretion. In such a situation, the court may adopt one of two courses: it may remit the matter to the competent authority for reconsideration of the punishment; or, in the rarest of cases, it may substitute the punishment while supporting such a course with cogent reasons.</u>"*

19. The Court finds that though charge no. 1 is found to be proved in part but there is no reason assigned why punishment of recovery of entire amount is imposed only against petitioner. There is no finding that petitioner does not remain diligent so much as it resulted into aforesaid financial loss and for that petitioner was solely responsible. No responsibility was imposed on earlier Accountants and Higher Authorities. There was no charge that department has suffered financial loss. There is

no finding that due to misconduct petitioner has gained monetary or any other benefit. Therefore, the Court finds that punishment of 'Censure' and "stoppage of one financial increment with cumulative effect" might have proportionate punishment but punishment of recovery of Rs. 214.87 lacs only from petitioner without any reason and without even a charge to this effect, the Court is of the view that this punishment is shockingly disproportionate.

20. In view of above, though in normal circumstances matter can be remanded for consideration afresh but on consideration of above reason, punishment of recovery of a huge amount, being without any reason or basis, cannot sustain. Accordingly, impugned order dated 02.05.2025, to the extent of recovery of Rs. 214.87 lacs from petitioner, is hereby set aside, without interfering with other two punishments.

21. The writ petition is accordingly disposed of.

(Saurabh Shyam Shamshery,J.)

April 09, 2026
AK

Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad